धारा 161 : अभिलेख पर प्रकट त्रुटि को सुधारना

धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जिसने किसी विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज को पारित या जारी किया है, उसमें किसी त्रुटि, जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, का या तो उसकी स्पप्रेरणा से या जहां ऐसी त्रुटि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या जो, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है, सुधार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई सुधार ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां सुधार, किसी घटनावश चूक या लोप से उद्‌भूत होने वाली किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को शुद्ध करने की प्रकृति का है :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे सुधार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा।